

आतिरिक्त दिनांक फलपत्र
कोटपल्ली (जयपुर)

23

दिनांक को संदे इजलास सुनाया गया है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

द्वारा ही।
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाका दाखिल
जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल सुमार
है। अतः प्रेरीकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की
आदिम कार्यवाही की जाने का कोई आदिन्य प्रतीत नहीं होता
मनसूख हो गया है तो प्ररगत प्रकरण में किसी प्रकार की
आवदन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही
में मनसूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन
3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष
न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन में
अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च
विवादित मामि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेन्ट्स के हक में किया गया
किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रेरीकार सरकार ने उक्त
मू-आवदन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर
प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित मामि का आवंटी
रेस्पॉन्डेन्ट्स को मू-आवदन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि
अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का
हमने प्रेरीकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दरखावाजाने पेश किये।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की
का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में
सम्बन्धित मू-आवदन आदेश मनसूख हो गया है। अतः प्रकरण
निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्तित आराजी से
राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित
पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उतवानी छोट्टे एवं अन्य बनाम
उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट
प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय
(नायब लक्षीलदार कोटपल्ली) ने उपस्थित होकर प्ररगत
होकर लक्षीलदार कोटपल्ली की ओर से प्रेरीकार सरकार
पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी ने उच्च

आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

3/206